



2026:AHC:23928

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 2636 / 2026

कैलाश एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : हौशिला प्रसाद मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मयंक मोहन दत्त मिश्रा

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री एच.पी. मिश्रा, प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती, तथा श्री एम.एम.डी. मिश्रा के सहयोगी अधिवक्ता श्री सुधांशु पांडेय, जो गब्बू लाल के पुत्र श्री अमित कुमार की ओर से कैविएट के माध्यम से उपस्थित हुए हैं, को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् कलेक्टर/जिलाधिकारी, जनपद गोरखपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2024 और प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् आयुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2025 को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है। इसके अतिरिक्त, यह प्रार्थना भी की गई है कि उपरोक्त प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं को आराजी संख्या 659, क्षेत्रफल 0.1300 हेक्टेयर से बेदखल न करें।
3. रिट याचिका में निहित संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में इस प्रार्थना के साथ इस न्यायालय के समक्ष रिट - सी संख्या 8798 / 2024 (कैलाश एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) दायर की थी कि विवादित भूमि याचिकाकर्ताओं के कब्जे में है, अतः वे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67-ए के लाभ के पात्र हैं।
4. उपरोक्त रिट याचिका को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से अंतिम रूप से निस्तारित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था और प्रतिवादी संख्या 3 को 45 दिनों की अवधि के भीतर विधि के अनुसार उस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।
5. उपरोक्त के अनुपालन में, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रत्यावेदन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67-ए का लाभ प्रदान करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया था। उक्त प्रत्यावेदन को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा आदेश दिनांक 11.09.2024 के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया। उपरोक्त मामले में दर्ज किए गए प्रासंगिक निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"गाटा संख्या 659 मि० रकबा 0.094 हेक्टेयर, जो 'नवीन परती' की भूमि है, को दिनांक 06.07.2020 में आयुर्वेदिक चिकित्सालय के नाम से प्रस्तावित किया गया है। जिसका खतौनी पर अमलदरामद जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 28.07.2022 के क्रम में हो गया है। आवेदक कैलाश व उसके भाई रूदल पुत्रगण धन्नू के नाम से गाटा संख्या 659 के सटे पूर्व दिशा में गाटा संख्या 1045 ख रकबा 0.566 हेक्टेयर भूमिधरी की भूमि है, जिसमें आवेदक का हिस्सा 0.028 हेक्टेयर व उसके भाई का हिस्सा 0.028 हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त, गाटा संख्या 701 रकबा 0.032 हेक्टेयर में आवेदक का हिस्सा 0.006 हेक्टेयर व उसके भाई का हिस्सा 0.006 हेक्टेयर; गाटा संख्या 460 रकबा 0.045 हेक्टेयर में आवेदक का हिस्सा 0.009 हेक्टेयर व उसके भाई का हिस्सा 0.009 हेक्टेयर; तथा गाटा संख्या 461 रकबा 0.061 हेक्टेयर में आवेदक का हिस्सा 0.012 हेक्टेयर व उसके भाई का हिस्सा 0.0120 हेक्टेयर है। आवेदक तथा आवेदक के भाई का संयुक्त रूप से कुल रकबा 0.110 हेक्टेयर है जो आवास बनाने के लिए एवं अन्य कार्यों के लिए उपयुक्त भी है। ऐसी दशा में आवेदक कैलाश पुत्र धन्नू व उनके भाई रूदल पुत्र धन्नू आवंटन पाने के पात्र नहीं हैं और याचीगण का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है।"6. उपरोक्त से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष 'उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006' की धारा 210 के अंतर्गत एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, जिसे वाद संख्या 1917 / 2024 के रूप में पंजीकृत किया गया। इसे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आदेश दिनांक 29.09.2025 के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया।

7. यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकारियों द्वारा पारित दोनों आदेश स्वतः ही अवैध हैं और निरस्त किए जाने योग्य हैं।

8. दूसरी ओर, कैविएटर दाखिल करने वाले पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.09.2024 में दर्ज किए गए निष्कर्षों को याचिकाकर्ताओं द्वारा न तो आयुक्त के समक्ष उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत पुनरीक्षण दाखिल करते समय नकारा गया और न ही इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका में नकारा गया है।

9. जब इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या उपरोक्त निष्कर्षों को कभी उनके द्वारा किसी उचित मंच पर चुनौती दी गई है या नहीं, तो याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि इन निष्कर्षों को याचिकाकर्ताओं द्वारा किसी भी समय चुनौती नहीं दी गई है।

10. यह स्थापित विधि है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वे दोषपूर्ण न हों, साक्ष्य रहित न हों, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में न हों, जैसा कि पी.पी. बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड आगरा बनाम मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 2014 एस.सी.सी. ऑनलाइन ए एल एल 15537 के मामले में पुष्ट किया गया था।

11. जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2024 जिसका प्रासंगिक अंश ऊपर उद्धृत किया गया है से यह स्पष्ट है कि इसे न तो प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष और न ही इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



12. मामले के इस स्वरूप को देखते हुए, न्यायालय की यह राय है कि वर्तमान रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है और एतद्वारा इसे खारिज किया जाता है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"